न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18 / 2018

श्री अनिलकुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द उम्र करीबन 30 साल जाति बैरवा निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

————प्रार्थी

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

2– अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 9.5.2018

संक्षिप्तः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा नगर पटवार हल्का शिखरानी द्वितीय भू अ.नि. क्षैत्र बिजयनगर के खसरा नंबर 124 रकबा 0.2225 हैक्टयर किस्म चाही–1 प्रार्थी की खातेदारी में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जो नगरपालिका बिजयनगर के पेराफेरी क्षेत्र में स्थित है, उक्त भूमि में अरसादराज से आने जाने हेतू मुख्य सडक खसरा नंबर 180 से होकर पडत बंजर भूमि खसरा नंबर 133 से होते हुये होकर आता जाता है, तथा इसी रास्ते में प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में फसल काश्त करने फसल लाने ले जाने हेतू ट्रेक्टर बेलगाडी व अन्य संसाधनो का उपयोग करता है, तथा प्रार्थी के पास उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग करता है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व उनके अधिनस्थ कर्मचारीगण राजस्व अभिलेख जमाबंदी, मानचित्र में रास्ता अंकित नही होने के कारण आये दिन बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि वे मुख्य सडक खसरा नंबर 180 से होते हुये खसरा नंबर 133 से होकर प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने हेतू रास्ता नियमानुसार शुल्क लेकर रास्जव अभिलेखो में दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट तोर से इन्कार कर दिया जबकि उपरोक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है, अत एंव प्रार्थी उपरोक्त खसरा नंबर 180 व 133 से रास्ता पाने का विधिक अधिकारी है। दिनांक 13.3.2018 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त खसरा नंबर 180 से खसरा नंबर 133 से होते हुये अपनी आराजी तक नियमानुसार सरकारी दर से देय रांशि जमा कर राजस्व अभिलेखो में रास्ता दर्ज करने हेतू निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने इस बाबत स्पष्ट इन्कार कर दिया उसके पश्चात दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। खसरा नंबर 180 पडत बंजर भूमि खसरा नंबर 133 वाके ग्राम नगर जो नगरपालिका बिजयनगर के परिधिय क्षैत्र में स्थित होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया है, अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये खातेदारी भूमि की दक्षिण पश्चिमी सीमा तक सदियो से 20 फीट चौडा चले आ रहे रास्ता जो कि मुख्य सडक खसरा नंबर 180 से लगते हुये प्रार्थी की आराजी के दक्षिणी दिशा में स्थित खसरा नंबर 133 से होकर स्थित है, उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न न करने हेतू तथा राजस्व रेकार्ड मानचित्र जमाबंदी में अंकन करने की कृपा करे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन अंकित किए हैं कि आराजी खसरा नंबर 124 में जाने के लिये राजस्व रेकार्ड अनुसार कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी विवादित भूमि में जाने के लिये सिवायचक भूमि खसरा नंबर 133 का प्रयोग करता है। उक्त सिवायचक भूमि खसरा नंबर 133 से होकर जाने के अलावा अन्य कोई नजदीकी या सुविधाजनक मार्ग राजस्व रिकार्ड अनुसार नही है। आराजी खसरा नंबर 180 से 124 में जाने के लिये खसरा नंबर 133 के पश्चिमी दिशा में 00–02–16 बीघा भूमि रास्ते हेतू प्रभावित

.................लगातार

होगी तथा आराजी संख्या के आस पास की सिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 57,800/– रूपये बीघा असिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 29,700/– रूपये बीघा ग्राम नगर की रोड के नजदीक की भूमि की डी0एल0सी0 दर 1,81,800/– रूपये बीघा है, खसरा नंबर 124 में जाने के लिये खसरा नंबर 133 की 00–02–16 प्रस्ताविक रास्ते की भूमि प्रभावित होगी जिसका प्रमाणित नक्शा संलग्न है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पत्र कमांक 541 दिनांक 7.5.2018 के अनुसार तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नगर की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 124 मे जाने हेतू खसरा नंबर 133 में से 00–02–16 बीघा प्रस्तावित भूमि में से रास्ते के लिये उपयोग में ली जाने के लिये यदि भूमि कीमतन दी जाती है, तो नगरपालिका बिजयनगर को कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम नगर की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खसरा नंबर 124 जरिये नामान्तकरण संख्या 1656 दिनांक 21.12.2017 को विक्रय से आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 0.225 हैक्टयर किरणदेवी के स्थान पर अनिलकुमार पुत्र सुभाषचन्द कौम बैरवा साकिन बिजयनगर के नाम दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नंबर 180 सार्वजनिक निर्माण विभाग में नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नंबर 133 बंजर भूमि दर्ज होना पाया गया। तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि से मुख्य सड़क पर पहुचने में खसरा नम्बर 124 में जाने के लिये खसरा नंबर 133 के पश्चिमी दिशा में 00–02–16 भूमि रास्ते हेतु उपयोग होना बताया है तथा ग्राम नगर की रोड की रोड से नजदीक की डीएलसी दर 1,81,800/– रू. प्रति बीघा बताई गई। अतः प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 124 में आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं।

ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 0.2225 हैक्टयर किस्म चाही–1 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 133 रकबा 0.6759 में से रास्ते हेतु कुल भूमि रकबा 00–02–16 अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त भूमि पर डी.एल.सी. दर अनुसार 00–02–16 भूमि की कुल राशि 25,452 रू. बनती है एवं जिसकी दुगुनी राशि 50,904 रू. बनती है। उक्त राशि 50,904/– रू. अप्रार्थी संख्या 1 को नियमानुसार राजकोष में अदा की जावे। उक्त राशि अदा किये जाने पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 9/5/18 को सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: